न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी
पीठासीन अधिकारीः सुधा सिंह, (उ०प्र० न्यायिक सेवा) U.P.1936

प्रकीर्ण वाद संख्या–592/2026

राजेश कुमार यादव बनाम अज्ञात

अपराध संख्या –753/2025
धारा–303(2) बी.एन.एस.
थाना कोतवाली नगर बाराबंकी।

30.05.2026

पत्रावली पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं है।

अन्तिम आख्या पर सुने जाने हेतु वादी मुकदमा को नोटिस जारी की गयी है, वादी मुकदमा द्वारा सूचित किया गया है कि उसको मुकदमा नहीं लड़ना है।

मैनें पत्रावली का परिशीलन किया।

वादी मुकदमा के द्वारा यह अभियोग, अपराध संख्या –753/2025, धारा–303(2) बी.एन.एस., थाना– कोतवाली नगर बाराबंकी के अन्तर्गत दिनांक–03.08.2025 को पंजीकृत कराया गया था। अभियोग पंजीकृत किए जाने के उपरान्त इस मामले में सम्यक विवेचना की गयी है। विवचनोपरान्त विवेचक के द्वारा अन्तिम रिपोर्ट–223/2025 दिनांकित–05.08.2025 न्यायालय पर प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में अन्तिम आख्या पर सुने जाने हेतु वादी मुकदमा को नोटिस जारी की गयी है, वादी मुकदमा द्वारा सूचित किया गया है कि उसको मुकदमा नहीं लड़ना है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विनिश्चत विधि व्यवस्था गंगाधर जर्नादन महात्रे बनाम महाराष्ट्र ए०आई०आर० 2004 सुप्रीम कोर्ट 4753 व डा० श्रीमती नुपुर तलवार बनाम सी०बी० आई० दिल्ली एवं अन्य 2012 (77) ए०सी०सी० 718 सुप्रीम कोर्ट एस०सी० में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार विवेचना में त्रुटि न पाये जाने पर न्यायालय को अन्तिम आख्या को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। अतः ऐसी स्थिति में अन्तिम आख्या स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विश्वलेषण के आलोक में अन्तिम रिपोर्ट– 223/2025 दिनांकित–05.08.2025 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–30.05.2026

(सुधा सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय सं०–18, बाराबंकी।